

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिथियल्स जज

२६-८-१७

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी पीठिने में पक्षकार/अधिवक्ता पर गये हुए हैं। पक्षकारों के नाम पक्षकार दिनांक २६-८-१७

२६-९-१७

लालबाद ३५०।

प्राथी पक्षी को लंबी पेश करके हेतु पूर्व से पक्षी अदालत डिके की चले है। अतः न्यायालय सपथ है १.१०, १.२५-३.२५ प ५.२५ पर आदेश डिके गये परन्तु न्यायालय में अनेक अवलोक डिके जाके के अर्थ प्राथी पक्षी को विधि सम्मत आदेश की पावना नहीं करने की स्थिति में प्राथी का प्रार्थना पत्र ०१२५८८८ में स्वीकार किया जाता है। पत्रादली के लिये एकर डिके डिके डिके है।


प्राथी